न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग)

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 43/2021

इलियास पुत्र समीखां जाति मेव निवासी ग्राम भौरी तहसील पहाडी

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर
2. फिरोजी पुत्री मल खाँ जाति मेव निवासी ग्राम भौरी तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील प्रार्थी
श्री युवराज सिंह वकील अप्रार्थी संख्या 2

दिनांक :– 22/08/2024

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 एलआर एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 1433 मिन/0.09, 1433 मिन/0.10 के हाल खसरा नम्बर 2104/0.09, 2105/0.10 हैक्टर बांके ग्राम भौरी तहसील पहाडी में स्थित है। सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 लगायत 2078 व मिलान क्षेत्रफल संलग्न है। आराजी खसरा नम्बर 2105 मुझ प्रार्थी की खातेदारी का रकबा है एवं 2104 अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी का रकबा है और अपने–अपने रकबे पर कब्जा व काश्त है सैटलमेन्ट से पूर्व उक्त दोनो नम्बरो का एक ही साविक नम्बर था लेकिन सैटलमेन्ट विभाग ने प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के अलग–अलग नम्बर बना दिये और नक्शे में भी अलग–अलग दर्शाया है लेकिन नक्शा तैयार करते समय प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 को कब्जे काश्त के खिलाफ दर्शाया है। प्रार्थी की कब्जे काश्त की जगह खसरा नम्बर 2104 अप्रार्थी संख्या 2 की कब्जे काश्त की जगह पर खसरा नम्बर 2105 दर्शाया है जो कि मौके के विरूद्ध है खसरा नम्बर 2105 मुझ प्रार्थी व खसरा नम्बर 2104 अप्रार्थी संख्या 2 का रकबा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सैटलमेन्ट विभाग द्वारा जारी किये गये नक्शे में दुरूस्ती कर प्रार्थी को काबिज काश्त की जगह दर्शाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी मौका जाँच रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075– 78 ग्राम भौरी के खाता संख्या 70 खसरा नम्बर 2105/0.10 हैक्टर इलियास पुत्र समी खां हिस्सा पूर्ण तथा खाता संख्या 272 खसरा नम्बर 2104/0.09 हैक्टर फिरोजी पुत्र मल खां हिस्सा पूर्ण दर्ज रिकॉर्ड है । उक्त खसरा नम्बरान के मौके पर मय रिकॉर्ड पहुंचा मौके पर उपस्थित मौत विरानो ने बताया कि मौके पर खसरा नम्बर 2104 की जगह पर इलियास काश्त करता चला आ रहा है तथा खसरा नम्बर 2105 की जगह पर फिरोजी काश्त करती चली आ रही है अतः कब्जा काश्त व उपस्थितों के बताये अनुसार खसरा नम्बर 2105 के स्थान पर 2104 तथा खसरा नम्बर 2104 के स्थान पर 2105 नक्शा व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी संख्या 2 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये जबाब प्रार्थना पत्र पेश ना करने के कारण जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया।

पत्रावली एवं जबाब तहसीलदार का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार पहाडी द्वारा प्रस्तुत जबाब में जाहिर किया है कि मौके पर खसरा नम्बर 2104 की जगह पर इलियास काश्त करता चला आ रहा है तथा खसरा नम्बर 2105 की जगह पर फिरोजी काश्त करती चली आ रही है खसरा नम्बर 2105 के स्थान पर 2104 तथा खसरा नम्बर 2104 के स्थान पर 2105 नक्शा व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। खसरा नम्बर 2105/0.10 के स्थान पर 2104/0.09 तथा खसरा नम्बर 2104/0.09 के स्थान पर 2105/0.10 नक्शा व रिकॉर्ड में तहसीलदार पहाडी द्वारा प्रस्तुत जबाब अनुसार दुरूस्त किये जाने की आज्ञा दी जाती है। निर्णय प्रति तहसीलदार पहाडी को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/08/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग).

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)